2020/00028 2020/00028

बोसो स्टेशनर्स, मोडसगढ़ ☏ 230289 स्टेशन ता. रेकी

19.3.2021
9.2.21
2.3.21
31/03/21
26/10/21
2.2.22
6.4.22
4.5
3/8/22
27.6.22

राजस्थान सरकार

(कायदा — 129)

सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के

ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाल 5
53-88-188 53-188	42/20	15.12.2020 Ex parte —	21/9/2021	P.d जारी 8.9.22 PA पालना 29/9/22 20/10/22 6.4.2023 24/8/23 P.D. पालना प्राप्त हुई व्यो सत्यापित(?) की गई 14.9.2023 वास्ते निर्णय

अलवान

श्री शंकरलाल पिता देवीलाल जाति - रेगर श्री प्रकाशचन्द्र पिता छीतर जाति - रेगर

निवासी बुन्दी निवासी रेगर मोहल्ला बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / बवयूनाव

श्री घनश्याम धाकड़ श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

.... बनाम ....

.... नम्बर .... सन 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 19/01/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
19/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगणों 1 व 3 से 8 तक की सम्मन बाद तामिले प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 2 की अदम तामिल प्राप्त हुई जिसमें फौत होना जाहिर हुआ है। वकील वादी ने प्रतिवादी सं. 2 का नाम डिलीट करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है लाल स्याही से डिलीट का अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है। वकील वादी ने पत्रावली में धारा 88 की रिलीफ नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया जो स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते गौर तलबी दि 2.3.21 को पेश हो।	
2/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वास्ते गौरतलबी दिनांक 16/3/21 को को पेश हो।	
16/3/21	...दी ...पत्रावली ... गौरतलबी पेश हो। दिनाक 1.4.21 उप ... अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8.7.22	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। P.D. पल्लना हेतु तहसीलदार फ़िजौलिया को तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते दि. 29.9.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
29/9/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते PD पल्लना दि. 20/10/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
20/10/22	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1/12/22 को वास्ते PD पा. पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी
1.12.22	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 19.1.23 को वास्ते PD पाल्लना पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी
19/1/23	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2.3.23 को वास्ते P.D. पलिना पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी
2/3/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 6/4/23 को वास्ते P.D. पल्लना पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी
6/4/23	पत्रावला पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 11/5/23 को वास्ते PD पल्लना पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 25/5/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उप. पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 15/6/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 06/07/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/7/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 21/7/23 को वास्ते PD पालना पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	
21/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते PD पालना दिनांक 24/8/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/8/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 14/9/23 को वास्ते P.D. पालना पेश हो। शामिल पत्रावली (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
14/9/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली में प्राथमिक डिक्री प्राप्त हो चुकी है, जिसे शामिल पत्रावली 24/08/23 को किया गया। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 42/2020 — दायर दिनांक 15.12.2020

अनवान

शंकरलाल पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज0)

——वादी

बनाम

1. प्रकाशचन्द पिता छीतर जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
2. खानी बैवा पत्नि छीतर जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां। (मृतक)
3. शम्भु पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
4. मदन पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
5. कस्तुरा पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
6. मु0 ऐजन बैवा पत्नि देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. पंजीयक महोदय तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री घनश्याम धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: आदेश :—

दिनांक 14/09/2023

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त शामलाती खाते की भूमि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया में आराजी नं0 767 रकबा 1—05 बीघा, आराजी नं0 768 रकबा 1—09 बीघा, आराजी नं0 769 रकबा 0—06 बीघा कुल किता 3 रकबा 3—00 बीघा भूमि में वादी के 1/3 हिस्सा निहित हैं। परन्तु उक्त भूमि का बंटवाडा नही होने से प्रतिवादीगण आये दिन उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में सीमाओं को लेकर विवाद करते हैं। इसलिये प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्से में दखलनदाजी करते है रोक टोक करते हैं तथा कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से में दखलनदाजी नही करने रोक टोक नही करने एवं जबरन उनके हक हिस्से से बेदखल नही करने हेतु स्थायी– निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं।

वादपत्र के अन्त में वादी ने अनुतोष चाहा कि ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलिया में आराजी नं0 767 रकबा 1—05 बीघा, आराजी नं0 768 रकबा 1—09 बीघा, आराजी नं0 769 रकबा 0—06 बीघा कुल किता 3 रकबा 3—00 बीघा भूमि में वादी के 1/3 हिस्से का पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादीर फरमाई जावें। तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त वाली वादग्रस्त कृषि भूमि से वादी को बेदखल नही करें, तथा वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

प्रतिवादीगणों 1 व 3 से 8 तक की समन बाद तामिले प्राप्त हुयी जो शामिल पत्रावली हैं प्रतिवादी संख्या 2 की अदम तामिल प्राप्त हुयी जिसमें फोत होना जाहिर हुआ हैं। वकीलवादी ने प्रतिवादी संख्या 2 का नाम डिलीट किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगणों के बाद तामिल अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 से 7 तक के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही क आदेश पारित किये गये।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त प्रकरण में तहसीलदार बिजौलियां ने पत्रांक/राजस्व/2023/1092 दिनांक 25.07.2023 से ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 767, 768, 769 कुल किता 3 रकबा 0.4856 है0 भूमि का बंटवाड़ा प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

शंकर पुत्र देवी रेगर सा0 देह आ0नं0 767/1 रकबा 0.0674 है0, आ0नं0 768/1 रकबा 0.0782 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1456 है0, कस्तुरा मदन शंभू पिता देबीलाल ऐजन पत्नी देबीलाल 1/2 खानी पत्नी छीतर प्रकाशचन्द्र पिता छीतर 1/2 रेगर सा0 देह खातेदार आ0नं0 767/2 रकबा 0.1349 है0, आ0नं0 768/2 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 2 रकबा 0.2914 है0 एवं सामलाती आ0नं0 769 रकबा 0.0486 है0 गे0मू0 चाह।

नोट :– जमाबन्दी में दर्ज खातेदारान में से खानी पत्नी छीतर रेगर सा. देह की मृत्यु हो चुकी है जिसके जायन्दा वारिसान एकमात्र पुत्र प्रकाशचन्द्र ही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबनदी संवत् 2075 से 2078 तक की पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी ने किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं की।

वादी द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई। प्रकरण को बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता एवं पैराकार सरकारकी बहस सुनी गई। वकील वादी ने बताया की वादपत्र में चाहा गया अनुतोष दिलाना चाहा गया एवं पैरोकार सरकार ने बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत करना बताया है।

पत्रावली का अवलोकन करने एवं तहसीलदार बिजौलियां के बंटवाड़ा प्रस्ताव के आधार पर ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 767, 768, 769 कुल किता 3 रकबा 0.4856 है0 भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार शंकर पुत्र देवी रेगर सा0 देह आ0नं0 767/1 रकबा 0.0674 है0, आ0नं0 768/1 रकबा 0.0782 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1456 है0, कस्तुरा मदन शंभू पिता देबीलाल ऐजन पत्नी देबीलाल 1/2 खानी पत्नी छीतर प्रकाशचन्द्र पिता छीतर 1/2 रेगर सा0 देह खातेदार आ0नं0 767/2 रकबा 0.1349 है0, आ0नं0 768/2 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 2 रकबा 0.2914 है0 एवं सामलाती आ0नं0 769 रकबा 0.0486 है0 गे0मू0 चाह भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। प्रस्तुत वादपत्र वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

अतः वादी के वादपत्र को अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**के तहत् स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 767, 768, 769 कुल किता 3 रकबा 0.4856 है0 भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार शंकर पुत्र देवी रेगर सा0 देह आ0नं0 767/1 रकबा 0.0674 है0, आ0नं0 768/1 रकबा 0.0782 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1456 है0, कस्तुरा मदन शंभू पिता देबीलाल ऐजन पत्नी देबीलाल 1/2 खानी पत्नी छीतर प्रकाशचन्द्र पिता छीतर 1/2 रेगर सा0 देह खातेदार आ0नं0 767/2 रकबा 0.1349 है0, आ0नं0 768/2 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 2 रकबा 0.2914 है0 एवं सामलाती आ0नं0 769 रकबा 0.0486 है0 गे0मू0 चाह भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री मूर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 14/09/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 42/2020 दायर दिनांक 15.12.2020

अनवान

शंकरलाल पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बून्दी तहसील बून्दी जिला बून्दी (राज0)

———डिक्रीदार

बनाम

1. प्रकाशचन्द्र पिता छीतर जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
2. खानी बेवा पत्नि छीतर जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां। (मृतक)
3. शम्भु पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
4. मदन पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
5. कस्तुरा पिता देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
6. मु0 ऐजन बेवा पत्नि देबीलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा खेती निवासी बिजौलियां।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)
8. पंजीयक महोदय तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— मदयून

उपस्थित :– 1. श्री धनश्याम धाकड़ – विद्वान अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 14 / 09 /2023

डिक्री दिनांक : 21 / 09 /2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियाँ बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री धनश्याम धाकड व पैरोकार सरकार हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा ग्राम बिजौलियां कलां की आराजी नं0 767, 768, 769 कुल किता 3 रकबा 0.4856 है0 भूमि का बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार शंकर पुत्र देवी रेगर सा0 देह आ0नं0 767/1 रकबा 0.0674 है0, आ0नं0 768/1 रकबा 0.0782 है0 कुल किता 2 रकबा 0.1456 है0, कस्तुरा मदन शंभू पिता देबीलाल ऐजन पत्नी देबीलाल 1/2 खानी पत्नी छीतर प्रकाशचन्द्र पिता छीतर 1/2 रेगर सा0 देह खातेदार आ0नं0 767/2 रकबा 0.1349 है0, आ0नं0 768/2 रकबा 0.1565 है0 कुल किता 2 रकबा 0.2914 है0 एवं सामलाती आ0नं0 769 रकबा 0.0486 है0 गे0मू0 चाह भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री मूर्तिब हों।

खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना – अपना वहन करे।

नीज ....Nil.............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil .....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....माह .... वर्ष 2023 को जारी किया गया।

नोट :– प्रकरण में वकील वादी द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक 21/09//2023 को मुर्तिब की गई।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(सीमा तिवाड़ी)

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	—		स्टाम्प अरजीदया	—	
स्टाम्प वकीलात नामा	—		स्टाम्प वकीलात नामा	—	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
मेहनताना वकील ( )	—		मेहनताना वकील ( )	—	
खर्चा गवाह	—		खर्चा गवाह	—	
फीस कमीश्नर	—		फीस कमीश्नर	—	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	—		बाबत् इजराय हुक्मनामा	—	
मुनफरिक	—		मुनफरिक	—	
मीजान			मीजान		

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)